नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Dhamtari - 06 Jul 2025 - 06dmt4
epaper.navabharat.news

अभियान

मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान को लेकर प्रधान जिला न्यायाधीश ने ली बैठक

लंबित मामलों को मध्यस्थता से निपटाने चलेगा अभियान

नवभारत ब्यूरो । धमतरी।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मीडियेशन एण्ड काउन्सिलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी एमसीपीसी नई दिल्ली के मार्गदर्शन में व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार रामकुमर तिवारी प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी द्वारा मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान के संबंध में जिला न्यायालय एवं तालुका न्यायालय के समस्त न्यायधीशगण, मध्यस्थता अधिकारी के साथ बैठक ली। उक्त बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश ने बताया कि मध्यस्थता राष्ट्र के लिए यह अभियान 1 जुलाई से 7 अक्टूबर तक चलाया जाना हैं, जिसमें उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय एवं तालुका न्यायालय स्तर पर लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत किये जाने हेतु 90 दिवसीय समय सीमा निर्धारित किया गया है। साथ ही तत्संबंध में एसओपी प्राप्त हुआ है, जिसका पालन किये जाने के संबंध में चर्चा की गई। प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा चर्चा के दौरान यह बताया कि मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है, जिसमें पक्षकार अपनी सहमति से लंबित प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण निपटारा कर सकते हैं। मध्यस्थता के माध्यम से दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण सहित अन्य सिविल मामलों का निपटारा संभव है। साथ ही मध्यस्थता प्रभारी उषा गेंदले जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी धमतरी द्वारा भी उक्त अभियान के संबंध में समस्त न्यायाधीशों को विस्तार पूर्वक बताया गया एवं अधिक से अधिक प्रकरण चिन्हांकित किया जाकर, उक्त प्रकरणों 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चिन्हांकित कर, मध्यस्थ हेतु रिफर किया जावें। उक्त बैठक में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी मोहन कोर्राम, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश धमतरी अर्चना भास्कर, सीजेएम नमिता मिंज भास्कर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी नेहा उसेन्डी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी धमतरी रजत कुमार निराला, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी धमतरी मीनू नंद, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी धमतरी प्रणव वैद्य उपस्थित थे तथा तालुका न्यायालय कुरूद एवं नगरी के न्यायाधीशगण विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े थे।